57/14 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 57/2014 1–मलकीतसिंह पुत्र बूटासिंह जाति जटसिख नि0 बनवाली तह0 सादुलशहर 2– परमजीतकौर 3– करमजीतकौर पुत्रीयां मलकीतसिंह बनाम 1– गुरलाभसिंह पुत्र स्व0 रेशमसिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.05.2015

अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगीण के अभिभाषक उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर में लंबित अपील सं0 4/2010 अनवानी गुरलाभसिंह आदि बनाम ग्राम पंचायत बनवाली आदि में न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र को खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि उक्त आधार पर उनका मुन्तकिल प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है तो उनको कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में लंबित अपील संख्या सं0 4/2010 अनवानी गुरलाभसिंह आदि बनाम ग्राम पंचायत बनवाली आदि में न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो चुके है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र को खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर